UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या– 2226–औ0सं0/2019–4 (6)–अप्रे0/78 दिनांक 06 जुलाई, 2019

विषय :– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को में शिशिक्षु अधिनियम (Apprentice Act) 1961 के अन्तर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद खण्डपीठ में योजित याचिका सं0–C–15507 of 2018, श्री महावीर सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 30.03.2019 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दिये जाने, आयु सीमा में छूट दिये जाने तथा सेवायोजन कार्यालय से उनके नाम मगाँये जाने या पंजीकरण कराये जाने की शर्त को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है:–

(1) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से शिशिक्षु अधिनियम (Apprentice Act) 1961 के अन्तर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को कारपोरेशन में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नवत् वरीयता दी जायेगी:–

(a) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यार्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जायेगी।

(b) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(c) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण किये अभ्यर्थियों से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(2) आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं एवं अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं से समस्त सम्बन्धित कार्यों को किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जायेगी:–

(a) आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं हेतु

आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं से सम्बन्धित कार्य शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विकसित वेबसाइट WWW.apprenticeship.gov.in के माध्यम से किया जायेगा।

(b) अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं हेतु

अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं से सम्बन्धित समस्त कार्य शिशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट WWW.BOATNR.org के माध्यम से किया जायेगा।

(3) **आयु सीमा में छूट** :– कारपोरेशन एवं इसके वितरण निगमों के अन्तर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(4) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की सूची तैयार करायेगा तथा भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–2226–औ0सं0/2019, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष ,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमाचंल/दक्षिणाचंल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण/वित्त/वाणिज्य/ कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/पश्चिमाचंल/दक्षिणाचंल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर ।
8. अपर सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव जनशक्ति/सचिवालय प्रशासन/विनियम उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 कैम्पस, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
11. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजिनी नगर लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता(हाइडिल) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार, को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

Aparna U.

(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक

G:\General Letter And Notesheet\GERNAL LETTER.Doc